NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 28-01-2026

विषय सूची

भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न

अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस

भारत का कागज़ उद्योग वन नियमों में शिथिलता हेतु प्रयासरत

जाम(Congestion) सूचकांक

जाति-आधारित भेदभाव पर नये यूजीसी नियम

भारत का ऊर्जा क्षेत्र: वैश्विक निवेशकों हेतु 500 अरब डॉलर का निवेश अवसर

संक्षिप्त समाचार

शिक्षापत्री द्विशताब्दी महोत्सव

जापान सागर

लोनार झील

सीरिया के कुर्द क्षेत्र

गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड

यूराटॉम(EURATOM)

कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम(CERT-In)

इंडो-पैसिफिक लेपर्ड शार्क

भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न

संदर्भ

- भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए वार्ताओं के समापन की घोषणा की।

परिचय

- यह FTA विश्व की चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच गहन बाज़ार एकीकरण को सक्षम बनाता है।
- भारत एवं यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक GDP का लगभग 25% और वैश्विक व्यापार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं।
- वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में लगभग €190 अरब वार्षिक है, जिसमें €120 अरब वस्तुओं एवं €80 अरब से अधिक सेवाओं का व्यापार शामिल है।
- यह समझौता आने वाले दशक में इस संबंध को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित करने की संभावना है।

FTA की प्रमुख विशेषताएँ

- **बाज़ार तक पहुँच:** भारत ने यूरोपीय बाज़ारों में 97% टैरिफ लाइनों पर वरीयता प्राप्त पहुँच हासिल की है, जो 99.5% व्यापार मूल्य को कवर करती है।
  - भारत 92.1% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो EU के 97.5% निर्यात को कवर करती है।
- **संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा:** भारत ने डेयरी, अनाज, पोल्ट्री, सोयामील, कुछ फल और सब्ज़ियों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा की है, जिससे निर्यात वृद्धि एवं घरेलू प्राथमिकताओं में संतुलन बना रहे।
- **सेवा क्षेत्र:** EU से 144 सेवा उपक्षेत्रों में प्रतिबद्धताएँ सुरक्षित की गई हैं, जिनमें IT/ITeS, पेशेवर सेवाएँ, शिक्षा और अन्य व्यापारिक सेवाएँ शामिल हैं।
  - भारतीय सेवा प्रदाताओं को EU बाज़ार में अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थिर और अनुकूल व्यवस्था मिलेगी।
- **प्रमुख औद्योगिक उत्पाद:** भारत में मशीनरी पर 44%, रसायनों पर 22% और औषधियों पर 11% तक की ड्यूटी पाँच से दस वर्षों की चरणबद्ध समयसीमा में बड़े पैमाने पर समाप्त की जाएगी।
  - कार के पुर्ज़ों पर शुल्क समय के साथ समाप्त हो जाएगा, जबकि पूर्ण निर्मित वाहनों पर शुल्क 110% से घटाकर कोटा-आधारित प्रणाली के अंतर्गत न्यूनतम 10% तक किया जाएगा।
- **CBAM-संबंधित प्रावधान:** इसमें अग्रदर्शी सर्वाधिक वरीय राष्ट्र आश्वासन शामिल है, जिससे तीसरे देशों को दी गई कोई भी लचीलापन भारत पर भी लागू होगा।
  - समझौता कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र की मान्यता, सत्यापकों की पारस्परिक मान्यता, वित्तीय सहायता और लक्षित समर्थन पर तकनीकी सहयोग को भी बढ़ाता है।
- **जलवायु-लचीला अवसंरचना:** यूरोपीय निवेश बैंक ने आपदा-लचीला अवसंरचना गठबंधन के माध्यम से €2 अरब की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि प्रस्तावित ईयू-भारत जलवायु सहयोग मंच 2026 में शुरू होने की संभावना है।
- **गतिशीलता ढाँचा:** FTA पेशेवरों के अस्थायी प्रवेश और प्रवास के लिए सुनिश्चित व्यवस्था स्थापित करता है, जिसमें व्यापारिक आगंतुक, अंतर-निगम स्थानांतरण, संविदात्मक सेवा प्रदाता एवं स्वतंत्र पेशेवर शामिल हैं।
- **भारतीय पारंपरिक चिकित्सा:** जिन EU सदस्य राज्यों में नियम विद्यमान नहीं हैं, वहाँ आयुष चिकित्सक भारत में प्राप्त अपनी पेशेवर योग्यताओं का उपयोग करके सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे।

भारत के लिए महत्व

- **निर्यात में वृद्धि:** FTA से भारत के EU को निर्यात (लगभग USD 16.6 अरब) में वृद्धि होने और EU के लगभग USD 2 ट्रिलियन इंजीनियरिंग वस्तुओं के आयात में हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
- **समुद्री निर्यात:** 100% व्यापार मूल्य को कवर करने वाली वरीयता प्राप्त पहुँच, 26% तक शुल्क में कमी के साथ EU समुद्री बाज़ार को आयात के लिए खोलेगी।

- यह बढ़ी हुई बाज़ार पहुँच भारत के समुद्री निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगी और आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल तथा भारत की नीली अर्थव्यवस्था में तटीय समुदायों को सशक्त बनाएगी।

- **श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए लाभ:** वस्त्र, परिधान, समुद्री, चमड़ा, जूते, रसायन, प्लास्टिक/रबर, खेल सामग्री, खिलौने, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों को FTA लागू होते ही शून्य शुल्क मिलेगा तथा इस प्रकार EU बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
  - EU के उच्च तकनीकी उत्पादों का आयात भारत के आयात स्रोतों में विविधता लाएगा, जिससे व्यवसायों की लागत घटेगी, उपभोक्ताओं को लाभ होगा और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होने के अवसर मिलेंगे।
- **कृषि पर प्रभाव:** भारत ने अपने कृषि निर्यातों के लिए वरीयता प्राप्त बाज़ार पहुँच प्राप्त की है, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चाय, कॉफी, मसाले, अंगूर, घेरकिन और खीरे, भेड़ एवं मेमने का मांस, स्वीट कॉर्न, सूखा प्याज़ तथा अन्य फल एवं सब्ज़ी उत्पाद शामिल हैं।
  - इससे ग्रामीण आय, महिलाओं की भागीदारी और यूरोप में भारत की एक प्रीमियम, विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थिति सुदृढ़ होगी।

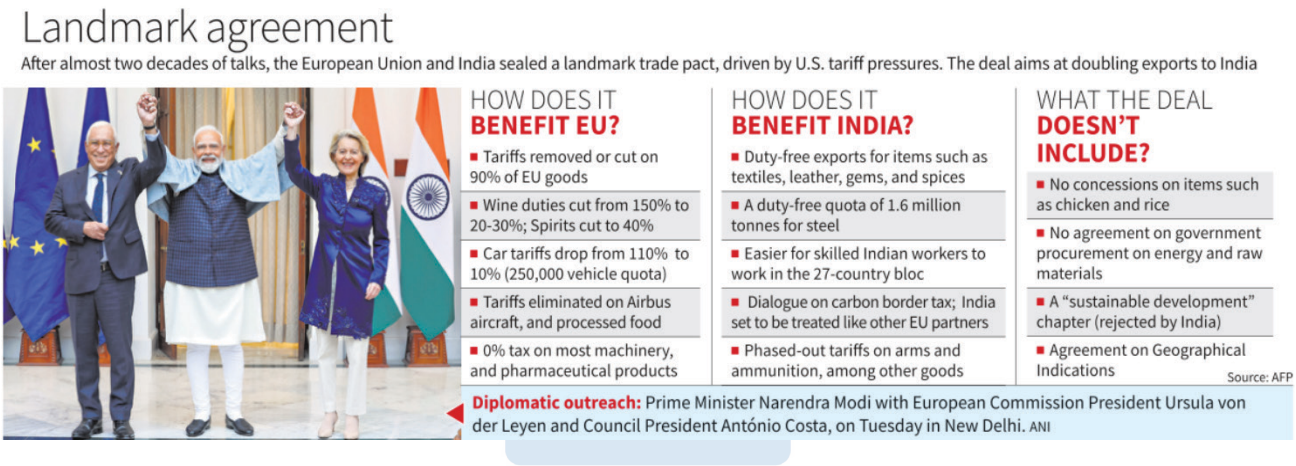

भारत - EU व्यापार संबंध

- EU भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसने 2024 में €120 अरब मूल्य का वस्तुओं का व्यापार किया, जो भारत के कुल व्यापार का 11.5% है।
- भारत EU का 9वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो 2024 में EU के कुल वस्तु व्यापार का 2.4% है, जबकि USA (17.3%), चीन (14.6%) और UK (10.1%) इससे कहीं आगे हैं।
- EU और भारत के बीच वस्तुओं का व्यापार विगत दशक में लगभग 90% बढ़ा है।
- EU का भारत से आयात मुख्यतः मशीनरी और उपकरण, रसायन, बेस मेटल, खनिज उत्पाद एवं वस्त्रों से होता है।
- EU का भारत को मुख्य निर्यात मशीनरी और उपकरण, परिवहन साधन एवं रसायन हैं।
- सेवाओं में व्यापार 2023 में €59.7 अरब रहा (जिसमें EU का निर्यात €26 अरब था)।
- भारत में EU के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का हिस्सा 2019 में €82.3 अरब से बढ़कर 2023 में €140.1 अरब हो गया।
- लगभग 6,000 यूरोपीय कंपनियाँ भारत में विद्यमान हैं।

स्रोत: PIB

अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस

समाचारों में

- अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
  - इसे 2006 में यूरोप की परिषद द्वारा *कन्वेंशन 108*—डेटा संरक्षण पर विश्व की प्रथम विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि—के हस्ताक्षर की स्मृति में नामित किया गया था।

डेटा गोपनीयता का महत्व

- डेटा गोपनीयता उत्तरदायी डिजिटल शासन का एक आधारभूत स्तंभ है।
- यह नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी को बड़े पैमाने पर डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर संरक्षित और सुरक्षित करती है।
- यह सरकारी नेतृत्व वाली डिजिटल सेवाओं में विश्वास को सुदृढ़ कर जन-आस्था का निर्माण करती है।
- सशक्त डेटा गोपनीयता ढाँचे सुरक्षित, नैतिक और संरक्षित डिजिटल उपयोग को बढ़ावा देते हैं, साइबर जोखिमों को कम करते हैं, डेटा के दुरुपयोग को रोकते हैं तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही के माध्यम से शासन को सुदृढ़ करते हैं।
- जैसे-जैसे डिजिटल प्लेटफार्म बढ़ते हैं, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि नवाचार नागरिक-केंद्रित, नैतिक एवं जवाबदेह बना रहे, तथा यह सरकारों, संस्थानों और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि वे डिजिटल अधिकारों की रक्षा करें।

भारत का विस्तृत डिजिटल पदचिह्न और गोपनीयता की अनिवार्यता

- भारत अब विश्व की सर्वाधिक डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहाँ डिजिटल अर्थव्यवस्था पहले से ही GDP का 10% से अधिक योगदान कर रही है और 2026–30 तक लगभग पाँचवाँ हिस्सा बनने का अनुमान है।
- यह वृद्धि बड़े पैमाने पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर आधारित है: आधार-संलग्न पहचान, UPI-आधारित भुगतान, डिजिलॉकर और लगभग सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड पहुँच।

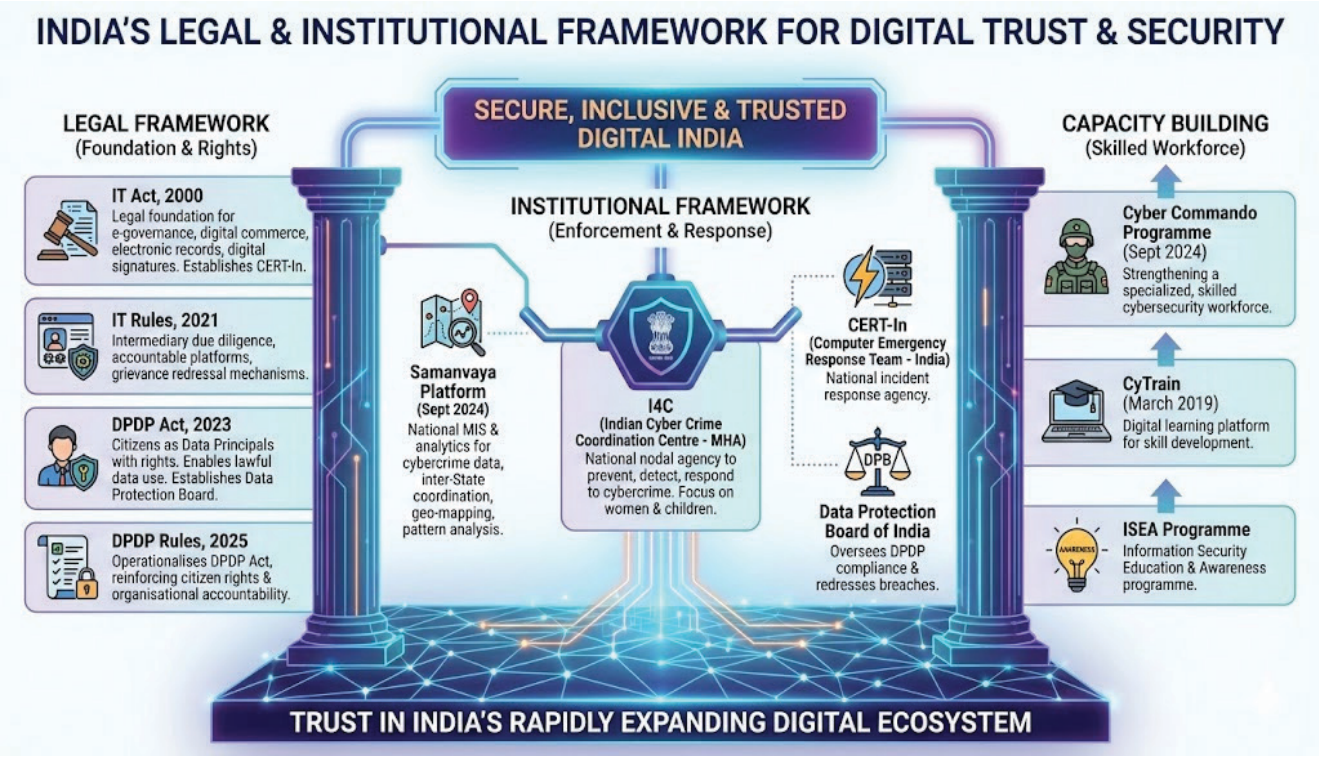

- सुलभ कनेक्टिविटी और 101.7 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड ग्राहकों ने भारत को सबसे अधिक डिजिटल रूप से समावेशी समाजों में से एक बना दिया है, जो दैनिक जीवन के मूल पहलुओं जैसे पहचान सत्यापन, भुगतान, स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा को प्रभावित करता है।
- तथापि, डिजिटलकरण का पैमाना गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जोखिमों को बढ़ाता है, क्योंकि अधिक संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा उत्पन्न एवं संसाधित होता है।
- इसके प्रत्युत्तर में सरकार ने डेटा संरक्षण और साइबर सुरक्षा ढाँचों को सुदृढ़ किया है, जिसमें महत्वपूर्ण बजटीय आवंटन शामिल हैं, तथा *प्राइवेसी बाय डिज़ाइन*, पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही पर बल दिया गया है।

लोकतांत्रिक और अधिकार-आधारित चिंताएँ

- भारत में डेटा संरक्षण केवल एक तकनीकी साइबर मुद्दा नहीं है, बल्कि यह *पुट्टस्वामी* में मान्य गोपनीयता के मौलिक अधिकार से प्रवाहित होता है।
- बड़े पैमाने पर कल्याण और फिनटेक अवसंरचनाएँ (आधार सीडिंग, UPI-संलग्न खाते, डिजिटल स्वास्थ्य और शिक्षा स्टैक) यदि सशक्त उद्देश्य-सीमा, पर्यवेक्षण और उपचारों से युक्त न हों, तो प्रोफाइलिंग, बहिष्करण एवं निगरानी के जोखिम उत्पन्न करते हैं।
- DPDP ढाँचे की आलोचना की गई है कि इसमें राज्य के लिए व्यापक छूट, व्यापक "वैध उपयोगों" का दायरा और कार्यपालिका-निर्मित नियमों पर निर्भरता है, जो व्यवहार में सुरक्षा उपायों को कमजोर कर सकती है।
- कमजोर संस्थागत क्षमता, कुछ राज्य और निजी प्लेटफार्मों में डेटा का संकेन्द्रण, तथा असंगत साइबर स्वच्छता यह जोखिम में वृद्धि करते हैं कि उल्लंघन या दुरुपयोग नागरिक विश्वास को क्षीण कर सकते हैं।

आगे की राह

- प्रथम, विधिक ढाँचे को डेटा संरक्षण बोर्ड की अधिक स्वतंत्रता और क्षमता, समयबद्ध उल्लंघन अधिसूचना, तथा सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए भी सार्थक दंडों से पूरित किया जाना चाहिए।
- द्वितीय, *प्राइवेसी-बाय-डिज़ाइन*, डेटा न्यूनकरण और विकेन्द्रीकृत संरचनाओं को DPI एवं क्षेत्रीय प्रणालियों (स्वास्थ्य, शिक्षा, गतिशीलता) में प्रारंभ से ही अंतर्निहित किया जाना चाहिए, न कि बाद में अनुपालन के रूप में देखा जाए।
- तृतीय, नागरिकों को प्रवर्तनीय अधिकारों की आवश्यकता है—सुगम सहमति डैशबोर्ड, स्पष्ट शिकायत चैनल और डेटा हानि के लिए विधिक सहायता—ताकि "सरल" का वास्तविकरण दैनिक व्यवहार में हो सके।
- अंततः, संसद और नियामकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा नवाचार की कथाएँ गोपनीयता को कमजोर करने के लिए सर्वव्यापी औचित्य न बनें, क्योंकि एक सुदृढ़ डिजिटल अर्थव्यवस्था अंततः जन-विश्वास और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होती है।

स्रोत :TH

भारत का कागज़ उद्योग वन नियमों में शिथिलता हेतु प्रयासरत

संदर्भ

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने *वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023* (पूर्व में *वन संरक्षण अधिनियम, 1980*) में संशोधन अधिसूचित किए।

पृष्ठभूमि

- 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु पट्टे पर दी गई वन भूमि पर निम्न प्रावधान लागू होते थे:
  - **नेट प्रेज़ेंट वैल्यू (NPV) भुगतान:** एकमुश्त शुल्क, जो वन भूमि के विचलन के कारण खोई गई पारिस्थितिकी सेवाओं के आर्थिक मूल्य को दर्शाता है।
  - **प्रतिपूरक वनीकरण (CA) दायित्व:** विचलित वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु अनिवार्य वनीकरण।
- औषधीय पौधों का रोपण गैर-वन गतिविधि माना जाता था, जिसके लिए पूर्व केंद्रीय अनुमोदन आवश्यक था।

नए नियम क्या हैं?

- वाणिज्यिक वृक्षारोपण को अब *वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023* के अंतर्गत विधिक रूप से "वन संबंधी गतिविधियाँ" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **शुल्क से छूट:** ऐसे वृक्षारोपण करने वाली संस्थाओं को अब नेट प्रेज़ेंट वैल्यू (NPV) का भुगतान या अनिवार्य प्रतिपूरक वनीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- **सरल अनुमोदन प्रक्रिया:** राज्य-स्वीकृत "कार्य योजनाओं" के अनुरूप और वन विभागों द्वारा पर्यवेक्षित वृक्षारोपण हेतु पूर्व केंद्रीय अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।
- **निजी संस्थाओं को पट्टे पर भूमि:** केंद्र सरकार वृक्षारोपण उद्देश्यों के लिए निजी कंपनियों को वन भूमि पट्टे पर देने हेतु शर्तें और नियम निर्दिष्ट कर सकती है।

कागज़ उद्योग ने नियमों में शिथिलता क्यों माँगी?

- भारत में घरेलू लकड़ी की उपलब्धता लगभग नौ मिलियन टन प्रति वर्ष आंकी गई है।
  - वर्तमान माँग लगभग ग्यारह मिलियन टन प्रति वर्ष है, जिससे घरेलू कागज़ उत्पादन प्रभावित होता है और लागत बढ़ती है।
- **आयात पर बढ़ती निर्भरता:** विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कागज़ उत्पादक होने के बावजूद भारत में कागज़ का आयात, विशेषकर आसियान देशों से, तीव्रता से बढ़ा है।
- **कागज़ क्षेत्र में अपर्याप्त क्षमता का उपयोग:** भारत में लगभग 900 पल्प और पेपर मिल हैं, जिनमें से केवल लगभग 550 संचालित हैं।
  - कच्चे माल तक अपर्याप्त पहुँच ने मिलों को उनकी पूर्ण क्षमता पर संचालित होने से रोका है।

पर्यावरणीय चिंताएँ

- पर्यावरण समूहों ने चेतावनी दी है कि:
  - वाणिज्यिक वृक्षारोपण प्राकृतिक वनों के पारिस्थितिक कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते।
  - एकल-प्रजाति (मोनोकल्चर) वृक्षारोपण जैव विविधता, मृदा स्वास्थ्य और जल उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- यह संशोधन *व्यवसाय सुगमता* और *पारिस्थितिक सुरक्षा* के बीच संतुलन पर प्रश्न उठाता है।

भारत का कागज़ उद्योग

- भारत का कागज़ उद्योग विश्व के कुल कागज़ उत्पादन का लगभग 5% हिस्सा रखता है।
- मिलें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करती हैं, जैसे लकड़ी, बाँस, पुनः प्राप्त कागज़, गन्ने का बगास, गेहूँ का पुआल आदि।
  - कुल उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार लगभग 18-20% लकड़ी पर आधारित है, 74-76% पुनर्नवीनीकृत रेशे पर और 6-8% कृषि-अवशेष पर आधारित है।
- वर्तमान में 90% से अधिक लकड़ी कृषि-वनीकरण और फार्म वनीकरण से प्राप्त होती है, प्राकृतिक वनों से नहीं।
- लगभग 5,00,000 किसान यूकेलिप्टस, पॉपलर, सुबाबुल, कैसुअरीना और अकासिया जैसी वृक्षारोपण प्रजातियों की खेती लगभग 1.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कर रहे हैं।

आगे की राह

- वाणिज्यिक वृक्षारोपण को केवल अवनत और खुले वन क्षेत्रों तक सीमित किया जाना चाहिए, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से बचना चाहिए।
- एकल-प्रजाति आधारित पर्यावरणीय हानि को रोकने हेतु सशक्त निगरानी और पारिस्थितिक सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
- वन भूमि पर दबाव कम करने के लिए कृषि-वनीकरण और पुनर्नवीनीकृत रेशे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

स्रोत: DTE

जाम (Congestion) सूचकांक

संदर्भ

- नवीनतम *2025 टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स* के अनुसार, भारत को विश्व में पाँचवाँ तथा एशिया में दूसरा सर्वाधिक यातायात-जामग्रस्त देश के रूप में रैंक किया गया है।

परिचय

- यह सूचकांक विश्वभर के शहरों का मूल्यांकन औसत यात्रा समय, जाम स्तर और वाहन गति के आधार पर करता है।
  - यह सूचकांक शहरी गतिशीलता में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करने और विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों में जाम प्रवृत्तियों की तुलना करने हेतु व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है।
- बेंगलुरु भारत का सर्वाधिक यातायात-जामग्रस्त शहर उभरा, जहाँ औसत जाम स्तर 74.4% दर्ज किया गया।
  - बेंगलुरु और कोलकाता दोनों विश्व के पाँच सबसे धीमे शहरों में सूचीबद्ध हुए।
- एशिया के शीर्ष 10 सर्वाधिक जामग्रस्त शहरों में से छह भारत से थे: बेंगलुरु (1), पुणे (2), मुंबई (6), नई दिल्ली (7), कोलकाता (9), और जयपुर (10)।

भारत में यातायात जाम के कारण

- तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि सीमित सड़क स्थान पर दबाव बढ़ा रही है।
- उच्च आय और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन के कारण निजी वाहनों का स्वामित्व बढ़ रहा है, जो सड़क क्षमता वृद्धि से अधिक है।
- अपर्याप्त और खराब नियोजित सड़क अवसंरचना, जिसमें संकरी सड़कें और बाईपास का अभाव शामिल है।
- मिश्रित यातायात स्थितियाँ, जहाँ विभिन्न गति और आकार के वाहन एक ही सड़क साझा करते हैं। साथ ही, लेन अनुशासन का अभाव यातायात प्रवाह को धीमा करता है।
- कमजोर यातायात प्रबंधन और नियमों का ढीला प्रवर्तन।
- अतिक्रमण और सड़क पर पार्किंग प्रभावी सड़क चौड़ाई को कम करते हैं।

प्रभाव

- ईंधन की बर्बादी, विलंबित लॉजिस्टिक्स और उत्पादकता में कमी के कारण आर्थिक हानि।
  - वायु और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि, जिससे शहरी स्वास्थ्य परिणाम बिगड़ते हैं।
- उच्च कार्बन उत्सर्जन, जो जलवायु और सतत विकास लक्ष्यों को कमजोर करता है।
- लंबे प्रतीक्षा समय से तनाव स्तर और *रोड रेज* बढ़ता है, जो मानसिक स्वास्थ्य अवन सामाजिक कल्याण को प्रभावित करता है।
- जामग्रस्त सड़कों के कारण आपातकालीन सेवाओं (एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएँ) में विलंब होता है, जिससे जीवन जोखिम में पड़ता है।
- अव्यवस्थित यातायात और नियम उल्लंघनों के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि।
- शहरी जीवन की गुणवत्ता में कमी, जिससे रहने की सुगमता और व्यवसाय करने की सरलता घटती है।

भारत में यातायात जाम से निपटने हेतु पहलें

- मेट्रो रेल, बस रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (BRTS), उपनगरीय रेल और विद्युत बसों के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेंसर और अनुकूली संकेतों का उपयोग कर *इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS)* को बढ़ावा देना।
- *ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD)* द्वारा भूमि उपयोग को जन-परिवहन गलियारों के साथ एकीकृत करना।
- शहरी सड़क अवसंरचना उन्नयन, जिसमें फ्लाईओवर, रिंग रोड और समर्पित लेन शामिल हैं।
- पार्किंग प्रबंधन सुधार, जैसे मूल्य निर्धारण, बहु-स्तरीय पार्किंग और नो-पार्किंग क्षेत्र।
- फुटपाथ और साइकिल ट्रैक विकसित कर गैर-मोटर चालित परिवहन को प्रोत्साहित करना।
- नीतिगत और व्यवहारगत पहलें, जिनमें जाम मूल्य निर्धारण, कार्यालय समय का चरणबद्ध निर्धारण एवं नियमों का कठोर प्रवर्तन शामिल है।

स्रोत: DTE

जाति-आधारित भेदभाव पर नये यूजीसी नियम

संदर्भ

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव, विशेषकर जाति-आधारित भेदभाव, को संबोधित करने हेतु नए विनियम अधिसूचित किए।

पृष्ठभूमि

- UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन) विनियम, 2026 की विनियम 3(ग) के अनुसार, "जाति-आधारित भेदभाव" का अर्थ है "केवल जाति या जनजाति के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध किया गया भेदभाव।"
- इन विनियमों का उद्देश्य परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकना और छात्रों, शिक्षकों तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, गरिमामय एवं समावेशी शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है।

2026 विनियमों के प्रमुख प्रावधान

- प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में समान अवसर केंद्र , समानता समिति और समानता दस्ते होना अनिवार्य है।
  - **समान अवसर केंद्र (EOC):** यह वंचित समूहों से संबंधित नीतियों के क्रियान्वयन की देखरेख करेगा, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता प्रदान करेगा।
  - **समानता समिति:** EOC में दस सदस्यीय समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता संस्थान प्रमुख करेंगे। इसके पाँच सदस्य आरक्षित वर्गों से होंगे।
  - **समानता दस्ते:** इनका गठन परिसर में सतर्कता बनाए रखने और भेदभाव रोकने के लिए किया जाएगा।
- 24 घंटे की 'समानता हेल्पलाइन' और समानता राजदूत नियुक्त किए जाएंगे।
- UGC अनुपालन की निगरानी करेगा, और अनुपालन न करने वाले संस्थानों को UGC वित्तपोषण, डिग्री प्रदान करने की शक्ति और यहाँ तक कि मान्यता खोने का जोखिम होगा।

जाति-आधारित भेदभाव का प्रभाव

- **व्यक्तियों पर:**
  - यह गरिमा, आत्म-मूल्य और मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर करता है, जिससे चिंता, अवसाद एवं सामाजिक अलगाव उत्पन्न होता है।
  - यह शैक्षणिक बहिष्करण का कारण बनता है, जिसमें उच्च ड्रॉपआउट दर, शैक्षणिक अवसरों से वंचित होना और मार्गदर्शन तक सीमित पहुँच शामिल है।
  - यह प्रतिशोध के भय को उत्पन्न करता है, जिससे छात्र भेदभाव की शिकायत करने से संकोच करते हैं।
- **संस्थानों पर:**
  - यह समान भागीदारी और प्रतिभा के उपयोग को रोककर शैक्षणिक उत्कृष्टता को कमजोर करता है।
  - यह शत्रुतापूर्ण परिसर वातावरण को बढ़ावा देता है, जिससे छात्रों, संकाय और प्रशासन के बीच विश्वास क्षीण होता है।
- **समाज पर:**
  - यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी असमानता और सामाजिक स्तरीकरण को बनाए रखता है।
  - यह समानता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों का विरोध करता है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 46 (राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत) राज्य को विशेष देखभाल के साथ कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 15(4) और 15(5) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई सक्षम करते हैं।

- अनुच्छेद 16(1) और 16(4) सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता और आरक्षण सुनिश्चित करते हैं।
- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में अभ्यास को निषिद्ध करता है।

विधिक और सांविधिक उपाय

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जाति-आधारित उत्पीड़न और हिंसा को अपराध घोषित करता है।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता के अभ्यास को दंडनीय बनाता है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्राथमिक शिक्षा में भेदभाव-निषेध को अनिवार्य करता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 UGC को उच्च शिक्षा में समानता को विनियमित करने का अधिकार देता है।

चिंताएँ

- **विधिक चिंताएँ:** झूठी या प्रेरित शिकायतों से निपटने के प्रावधान का अभाव दुरुपयोग की आशंका उत्पन्न कर सकता है।
  - समयबद्ध कार्रवाई का अनिवार्य होना यदि प्रक्रिया जल्दबाज़ी में हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से समझौता कर सकता है।
- **संस्थागत चिंताएँ:** छोटे महाविद्यालयों को EOC, समानता समितियों और दस्तों की स्थापना में क्षमता संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
  - UGC की दंडात्मक कार्रवाई का भय संस्थानों को निष्पक्षता के बजाय रक्षात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
- **सामाजिक और शैक्षणिक चिंताएँ:** निगरानी पर अत्यधिक ध्यान संवाद को कमजोर कर सकता है और शैक्षणिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।
  - पक्षपात की धारणा छात्रों के अलगाव का कारण बन सकती है, जिससे परिसर की सामंजस्यता प्रभावित होती है।

आगे की राह

- मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मार्गदर्शन कार्यक्रम और शैक्षणिक सहयोग तक पहुँच का विस्तार करना, विशेषकर प्रथम-पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए।
- समानता तंत्रों को छात्र कल्याण और शिकायत निवारण प्रणालियों से जोड़ना ताकि समग्र हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके।
- शिकायतों से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग करके प्रणालीगत पैटर्न जैसे मूल्यांकन पक्षपात, छात्रावास पृथक्करण या संकाय भेदभाव की पहचान करना।

स्रोत: IE

"भारत का ऊर्जा क्षेत्र: वैश्विक निवेशकों हेतु 500 अरब डॉलर का निवेश अवसर

संदर्भ

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने गोवा में *इंडिया एनर्जी वीक* के अवसर पर वैश्विक निवेशकों से भारत के तीव्र गति से विस्तार कर रहे ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी का आह्वान किया, इसे 500 अरब डॉलर का निवेश अवसर बताया।
  - लगभग 125 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे *इंडिया एनर्जी वीक* की स्थिति एक प्रमुख वैश्विक ऊर्जा मंच के रूप में सुदृढ़ हुई।

इंडिया एनर्जी वीक 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

- **ऊर्जा स्वतंत्रता पर ध्यान:** भारत ने ऊर्जा सुरक्षा से ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर अपने संक्रमण को दीर्घकालिक, सतत रणनीतियों के साथ रेखांकित किया।
- **विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार के रूप में भारत:** भारत शीर्ष पाँच पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातकों में शामिल है, जो 150 से अधिक देशों को आपूर्ति करता है, जिससे यह एक विश्वसनीय वैश्विक ऊर्जा साझेदार बनता है।
- **प्रमुख निवेश अवसर:** भारत ने ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में अन्वेषण से लेकर डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों तक 500 अरब डॉलर के अवसर प्रस्तुत किए।
- **अन्वेषण और गहरे समुद्री पहल:** *समुद्र मंथन मिशन* पर बल दिया गया, जिसके अंतर्गत तेल और गैस

अन्वेषण में 100 अरब डॉलर निवेश आकर्षित करने तथा अन्वेषण क्षेत्र को 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित करने की योजना है।

- **रिफाइनिंग पावरहाउस दृष्टि:** भारत विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बनने की दिशा में अग्रसर है, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान रखता है, और क्षमता 300 MMTPA से अधिक होने की संभावना है।
- **LNG और गैस अवसंरचना प्रोत्साहन:** LNG के माध्यम से ऊर्जा माँग का 15% पूरा करने का लक्ष्य है, जिसे ₹70,000 करोड़ के शिपबिल्डिंग कार्यक्रम, नए टर्मिनलों, पाइपलाइनों और सिटी गैस नेटवर्क द्वारा समर्थित किया जाएगा।
- **पेट्रोकेमिकल माँग में वृद्धि:** जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास पेट्रोकेमिकल्स तथा डाउनस्ट्रीम अवसंरचना में निवेश की सुदृढ़ संभावनाएँ उत्पन्न कर रहे हैं।

भारत का ऊर्जा क्षेत्र

- **स्थापित उत्पादन क्षमता:** भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक और उपभोक्ता है, जिसकी स्थापित विद्युत क्षमता 31 जनवरी 2025 तक 466.24 GW है।
- **भारत की कोयला-आधारित ऊर्जा:** यह राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में लगभग 55% योगदान करती है और कुल विद्युत उत्पादन का 70% से अधिक ईंधन प्रदान करती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि:** भारत सौर और पवन क्षमता में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है, तथा 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य रखता है।
- **कुल स्थापित क्षमता (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित, बड़े जलविद्युत सहित):** 209.45 GW (दिसंबर 2024 तक)।
  - पवन ऊर्जा: 48.16 GW
  - सौर ऊर्जा: 97.87 GW
  - बायोमास/को-जनरेशन: 10.73 GW
  - लघु जलविद्युत: 5.10 GW
  - अपशिष्ट से ऊर्जा: 0.62 GW
  - बड़े जलविद्युत: 46.97 GW
- **संप्रेषण अवसंरचना:** देश के पास विश्व के सबसे बड़े समकालिक विद्युत ग्रिडों में से एक है, जो क्षेत्रों के बीच विद्युत हस्तांतरण सक्षम करता है।
  - भारत ने लगभग सार्वभौमिक विद्युत पहुँच प्राप्त कर ली है, जहाँ 99% से अधिक गाँव विद्युतीकृत हैं।
- **कुल ऊर्जा आपूर्ति और माँग (2025):**
  - **आपूर्ति:** लगभग 1,800 मिलियन टन तेल समतुल्य (MToE), जो 2024 की तुलना में 4.5% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।
  - **माँग:** मुख्यतः औद्योगिक वृद्धि (40%), परिवहन (25%) और आवासीय उपभोग (20%) द्वारा संचालित।

भारत के ऊर्जा परिदृश्य में वैश्विक निवेशकों के लिए अन्य कारण

- **आकर्षक अन्वेषण क्षमता:** तेल और गैस अन्वेषण में सुधार, 170 से अधिक ब्लॉकों का आवंटन, नो-गो क्षेत्रों में कमी एवं अंडमान-निकोबार बेसिन जैसे संभावनाशील क्षेत्रों ने अपस्ट्रीम अवसरों को बढ़ाया है।
- **वैश्विक व्यापार नेटवर्क से एकीकरण:** EU, UK और EFTA देशों के साथ हालिया मुक्त व्यापार समझौते आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करते हैं तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं।
- **पेट्रोकेमिकल बाजार में वृद्धि:** औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और उपभोक्ता माँग पेट्रोकेमिकल्स एवं डाउनस्ट्रीम अवसंरचना में सुदृढ़ वृद्धि की संभावनाएँ उत्पन्न कर रहे हैं।
- **नवाचार और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता:** स्वच्छ ईंधन, उन्नत तकनीकों और सतत ऊर्जा समाधानों पर ध्यान भारत को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के अनुरूप बनाता है।
- **स्थिर और पूर्वानुमेय बाजार:** लोकतांत्रिक शासन, नीतिगत निरंतरता और बड़ा घरेलू बाजार वैश्विक निवेशकों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करता है।

भारत के ऊर्जा परिदृश्य से संबंधित चिंताएँ और मुद्दे

- **बढ़ती ऊर्जा माँग का दबाव:** तीव्र आर्थिक वृद्धि और शहरीकरण ऊर्जा माँग बढ़ा रहे हैं, जिससे आपूर्ति, वहनीयता एवं स्थिरता में संतुलन की चुनौती उत्पन्न होती है।
- **कच्चे तेल और गैस पर आयात निर्भरता:** मजबूत रिफाइनिंग क्षमता के बावजूद भारत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे यह वैश्विक मूल्य अस्थिरता एवं भू-राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील है।
- **अवसंरचना अंतराल:** पाइपलाइनों, LNG टर्मिनलों, भंडारण सुविधाओं और संप्रेषण नेटवर्क का विस्तार बड़े पूंजी निवेश एवं समयबद्ध क्रियान्वयन की माँग करता है।
- **ऊर्जा संक्रमण चुनौतियाँ:** जीवाश्म ईंधन विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं व जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन एक जटिल नीतिगत और निवेश चुनौती है।
- **तकनीकी और कौशल अंतराल:** उन्नत अन्वेषण, डीप ओशन ड्रिलिंग, LNG शिपिंग और स्वच्छ तकनीकों हेतु विशेष कौशल एवं उच्चस्तरीय तकनीक की आवश्यकता है।
- **लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला बाधाएँ:** बंदरगाह जाम, शिपिंग उपलब्धता और अंतर्देशीय परिवहन अवरोध ऊर्जा व्यापार दक्षता को प्रभावित कर सकते हैं।
- **नियामक और नीतिगत अनिश्चितता:** सुधार जारी रहने के बावजूद, बार-बार नीतिगत परिवर्तन और विभिन्न राज्यों के नियम निवेशकों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न कर सकते हैं।
- **वित्तपोषण और पूंजी जुटाव:** बड़े पैमाने पर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक, कम लागत वाले वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच चुनौतीपूर्ण है।
- **पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएँ:** अन्वेषण, रिफाइनिंग और अवसंरचना परियोजनाएँ पर्यावरणीय स्वीकृतियों, भूमि अधिग्रहण मुद्दों एवं सामुदायिक प्रतिरोध का सामना कर सकती हैं।
- **भू-राजनीतिक जोखिम:** वैश्विक संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान ऊर्जा आयात, निर्यात एवं निवेश प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

शिक्षापत्री द्विशताब्दी महोत्सव

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने *शिक्षापत्री द्विशताब्दी महोत्सव* को संबोधित किया।

शिक्षापत्री क्या है?

- *शिक्षापत्री* एक पवित्र ग्रंथ है जिसे भगवान स्वामीनारायण ने 1826 में रचा था।
- इसमें संस्कृत की 212 संक्षिप्त श्लोक हैं, जो नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नागरिक आचार संहिता निर्धारित करते हैं।
- यह ग्रंथ धर्मपरायण जीवन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिसमें व्यक्तिगत अनुशासन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक उत्तरदायित्व और भक्ति का उल्लेख है।

द्विशताब्दी महोत्सव का महत्व

- द्विशताब्दी महोत्सव *शिक्षापत्री* के प्रवर्तन के 200 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
- इसे वैश्विक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के रूप में मनाया जा रहा है, विशेषकर स्वामीनारायण परंपरा के अनुयायियों द्वारा।
- यह उत्सव आधुनिक, जटिल समाज में नैतिक मूल्यों की सतत प्रासंगिकता को रेखांकित करता है, जहाँ सामाजिक विखंडन और नैतिक अनिश्चितता विद्यमान है।

ज्ञान भारतम् मिशन (GBM)

- GBM संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपि धरोहर का संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है।
- इसे केंद्रीय बजट 2025–26 में घोषित किया गया, और यह 2003 में स्थापित *राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM)* की दृष्टि को पुनर्जीवित एवं विस्तारित करता है।
- इस मिशन का लक्ष्य आगामी पाँच वर्षों में भारतभर में 1 करोड़ (10 मिलियन) से अधिक पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करना है।

स्रोत: PIB

जापान सागर

समाचारों में

- उत्तर कोरिया ने हाल ही में जापान सागर (पूर्वी सागर) की ओर अल्प-दूरी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण प्रक्षेपण किया।

जापान सागर के बारे में

- यह पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है, जो अंडाकार आकार का है।

- इसके पूर्व में जापान और सखालिन द्वीप, तथा पश्चिम में रूस एवं कोरियाई प्रायद्वीप स्थित हैं।
- यह दक्षिण में त्सुशिमा और कोरिया जलडमरूमध्य के माध्यम से पूर्वी चीन सागर से जुड़ता है, उत्तर में ला पेरूज़ और तातार जलडमरूमध्य के माध्यम से ओखोत्स्क सागर से, तथा पूर्व में कानमोन एवं त्सुगारू जलडमरूमध्य के माध्यम से जापान के आंतरिक सागर और प्रशांत महासागर से जुड़ता है।

स्रोत: TH

लोनार झील

संदर्भ

- लोनार झील के जलस्तर में 20 फीट की स्थिर वृद्धि दर्ज की गई है।

परिचय

- लोनार झील महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा ज़िले में स्थित एक लैगून झील है।
- इसका निर्माण लगभग 52,000 वर्ष पूर्व एक उल्कापिंड के प्रभाव से हुआ था, जिसे ब्रिटिश अधिकारी जे. ई. अलेक्ज़ेंडर ने खोजा।
- यह झील दक्कन पठार की बेसाल्टिक चट्टानों में स्थित है, जिसका निर्माण लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व विशाल ज्वालामुखीय विस्फोटों से हुआ था। यह एकमात्र ज्ञात प्रभाव क्रेटर है।
- झील में दो विशिष्ट जल परतें हैं—एक क्षारीय और दूसरी लवणीय—जो ऐसे सूक्ष्मजीवों को आश्रय देती हैं जो पृथ्वी पर किसीस्थान पर नहीं पाए जाते।

- इसके पारिस्थितिक और वैज्ञानिक महत्व को मान्यता देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लोनार तथा उसके आसपास के क्षेत्र को *वन्यजीव अभयारण्य* घोषित किया है।
- वर्ष के समय के अनुसार झील का जल रंग बदलता है—कभी पन्ना हरा तो कभी अलौकिक गुलाबी।

- यह परिवर्तन उन सूक्ष्मजीवों के कारण होता है जो सतह के नीचे की विशिष्ट रासायनिक संरचना में पनपते हैं।

स्रोत: ET

सीरिया के कुर्द क्षेत्र

समाचारों में

- हाल ही में सीरियाई सरकारी बलों ने कुर्द-नियंत्रित उत्तरी क्षेत्र में प्रवेश किया, प्रमुख कस्बों पर कब्ज़ा किया और ऐसे संघर्षों को जन्म दिया जो देश के पुनर्एकीकरण के प्रयासों को बाधित कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि और मुद्दे

- दिसंबर 2024 में बशर अल-असद शासन के पतन के बाद से शांति की आशाओं के बावजूद सीरिया अस्थिर बना हुआ है।
- अहमद अल-शराआ (पूर्व में अबू मुहम्मद अल-गोलानी) अंतरिम नेता बने और समावेशी शासन का वादा किया, किंतु सांप्रदायिक हिंसा पुनः उभर आई एवं उत्तर-पूर्व में सरकारी बलों तथा कुर्द-नेतृत्व वाली *सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज़ (SDF)* के बीच संघर्ष भड़क उठा।

कुर्द

- कुर्द विश्व के सबसे बड़े जातीय समूहों में से एक हैं, जो पश्चिम एशिया में तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया में फैले हुए हैं।
- उनका एक बड़ा प्रवासी समुदाय यूरोप और अन्य स्थानों पर भी है।

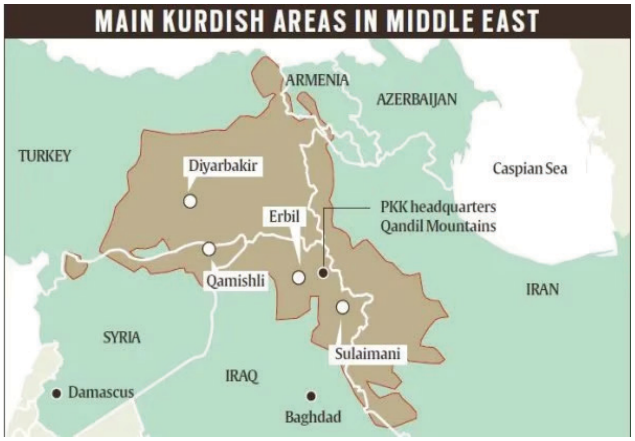

- कुर्द भाषा, अपनी विभिन्न बोलियों सहित, विभिन्न देशों में उनके फैलाव के बीच एक प्रमुख एकीकृत कारक है।
- सीरिया में कुर्द कुल जनसंख्या का लगभग 10% हैं और वैश्विक कुर्द जनसंख्या का अनुमानित 5% हिस्सा बनाते हैं।
  - हाफ़िज़ अल-असद और उनके पुत्र बशर अल-असद (जिनका शासन दिसंबर 2024 में समाप्त हुआ) के अधीन सीरिया में बाथवादी शासन के दौरान उन्हें सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव का सामना करना पड़ा।
- कुर्द मुद्दे की उत्पत्ति प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए समझौतों से हुई, जहाँ *विल्सन के चौदह सूत्र* और *सेव्र संधि (1920)* ने कुर्दों के लिए स्वायत्तता या संभावित स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था, किंतु *लॉज़ेन संधि (1923)* ने ऐसे प्रावधानों को बाहर कर दिया।

स्रोत: TH

गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड

समाचारों में

- कर्नाटक ने राज्य में प्लेटफ़ॉर्म-आधारित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सुदृढ़ करने हेतु *गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड* का गठन किया है।

परिचय

- इसका गठन *कर्नाटक प्लेटफ़ॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विकास) अधिनियम, 2025* के अंतर्गत किया गया है।
  - श्रम मंत्री पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
- बोर्ड एग्रीगेटरों और गिग वर्कर्स का अनिवार्य पंजीकरण देखेगा तथा प्लेटफ़ॉर्मों पर मान्य अद्वितीय पहचान संख्या जारी करेगा।
  - एग्रीगेटरों को प्रत्येक लेन-देन पर 1-1.5% कल्याण शुल्क (सीमित, अधिकतम 5% तक) योगदान करना होगा, जिससे स्वास्थ्य और आय सहायता जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को वित्तपोषित किया जाएगा।

- बोर्ड योजनाओं की निगरानी, शिकायत निवारण और पारदर्शी अनुबंधों को सुनिश्चित करेगा, जिससे गिग अर्थव्यवस्था की वृद्धि का समाधान होगा, जो 2030 तक भारत की कार्यबल का 4.1% होने की संभावना है।

स्रोत: TH

यूराटॉम(EURATOM)

समाचारों में

- भारत और यूरोपीय संघ ने 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान मौजूदा *भारत-यूराटॉम समझौते* के अंतर्गत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोगों पर सहयोग को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

परिचय

- *यूराटॉम* की स्थापना 1957 की *रोम संधि* द्वारा की गई थी।
- यह संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देता है, विखंडनीय पदार्थों को सैन्य उपयोग से बचाता है और तकनीकी ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करता है।
- 2020 का *भारत-यूराटॉम अनुसंधान एवं विकास समझौता* परमाणु सुरक्षा, संलयन अनुसंधान (जिसमें *ITER* शामिल है), विकिरण संरक्षण और रेडियो-फार्मास्यूटिकल्स जैसी गैर-ऊर्जा अनुप्रयोगों को कवर करता है।
- भारत 2017 से *CERN* का सहयोगी सदस्य है।

स्रोत: TH

कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम(CERT-In)

संदर्भ

- वर्ष 2025 में *भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In)* ने 29.44 लाख से अधिक साइबर घटनाओं का निपटारा किया, जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने की साइबर प्रतिक्रिया क्षमता को दर्शाता है।

परिचय

- CERT-In भारत में साइबर घटनाओं की प्रतिक्रिया हेतु राष्ट्रीय एजेंसी है।
- मंत्रालय: *इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय*।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के अंतर्गत इसका अधिदेश साइबर हमलों की रोकथाम, साइबर खतरों की वास्तविक समय पर निगरानी, तथा हितधारकों के साथ त्वरित समन्वय कर साइबर घटनाओं को नियंत्रित एवं सीमित करना है।

स्रोत: PIB

इंडो-पैसिफिक लेपर्ड शार्क

समाचारों में

- थाईलैंड ने *माइटन द्वीप* के तट पर इंडो-पैसिफिक लेपर्ड शार्क के लिए अपना प्रथम "रीवाइल्डिंग" परियोजना प्रारंभ की है।

इंडो-पैसिफिक लेपर्ड शार्क

- यह एक मध्यम आकार की शार्क है, जो इंडो-वेस्ट पैसिफिक महासागरों में पाई जाती है।
- यह महाद्वीपीय और द्वीपीय शेल्फ़ पर तटवर्ती क्षेत्र से लेकर 90 मीटर की गहराई तक पाई जाती है और प्रवाल तथा चट्टानी रीफ़, तटीय कीचड़ मैदान, मैंग्रोव एवं सीग्रास क्षेत्रों से जुड़ी होती है।
- इंडो-पैसिफिक लेपर्ड शार्क उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में 142 मीटर तक की गहराई में निवास करती है, और प्रवाल रीफ़, चट्टानी क्षेत्र, रेतीले पठार, मैंग्रोव तथा सीग्रास क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है।
  - यह दक्षिण अफ्रीका से सामोआ तक और उत्तर में जापान तक फैले भारतीय एवं पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागरों में पाई जाती है।
- इसे *IUCN रेडलिस्ट* में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

स्रोत: Reuters

■■■■